अनुसूची 14-फारम सं0-562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....**सुपौल**....., सं0.....**191**....., सन्**2023**.....

केस का प्रकार.....**आर्बिट्रेशन**.....**(अरूण कुमार बनाम राज्य)**.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३
28.10.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित। आवेदक अनुपस्थित हैं। उल्लेखनीय है कि आवेदक सुनवाई हेतु निर्धारित विगत (10) दस तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद NH-57 परियोजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि मौजा-सिमहारी, थाना नं0-118, खाता सं0-89/29, 83, खेसरा सं0-1024 के ''आवासीय से व्यसायिक'' श्रेणी में सम्परिवर्त्तन हेतु दायर किया गया है। आवेदक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग उनके द्वारा व्यसायिक प्रयोजन से किया जा रहा था, जिसके बदले उनके द्वारा व्यसायिक लगान का भुगतान किया जा रहा है। उक्त के आधार पर उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि के आवासीय से व्यसायिक श्रेणी में सम्परिवर्त्तन करते हुए तदनुसार मुआवजा राशि का भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के प्रतिवेदनानुसार उपरोक्त परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि खेसरा सं0-1024 का किस्म जाँचोपरान्त आवासीय पाया गया है। तदनुसार उक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 18.08.2006 को अधिघोषणा का प्रकाशन किया गया। अधिघोषणा प्रकाशित होने के पूर्व उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि के व्यसायिक प्रयोजन से उपयोग होने संबंधी आपत्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं किया गया, जिसके कारण उनका यह दावा स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC NO-1979/2017 में दिनांक-23.08.2018 को पारित आदेश के पाँच वर्षो के बाद वाद दायर किया जाना कालबाधित है। साथ ही आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में किए गए दावा के समर्थन में वर्णित भूमि के सम्परिवर्त्तन (Change in Land Use) से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किय गया है। तद्नुलोक में विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा उनकी ओर से दाखिल जवाब के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा समर्पित दस्तावेज तथा विपक्षी (DLAO एवं NHAI) द्वारा दाखिल जवाब व अभिलेखों के आलोक में आवेदक के भूमि के आवासीय किस्म के अनुरूप देय मुआवजा राशि का भुगतान संगत नियमों के आलोक में किया गया है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में ऐसा कोई भी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके की अधिसूचना से पूर्व उनकी भूमि का उपयोग व्यसायिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा था एवं अधिघोषणा निर्गत किये जाने के पूर्व उनके द्वारा इस संबंध में आपत्ति दाखिल किया गया था। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधितों को दी जाय। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त -सह-आर्बिट्रेटर, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा